



Neutral Citation No. - 2026:AHC:170386

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 8273/2026

रीना एवं अन्य

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : गरुण पाल सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- श्री संजय कुमार दुबे, अधिवक्ता ने सूचनाकर्ता की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

2- आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित रे, जो श्री गरुण पाल सिंह, विद्वान अधिवक्ता की ओर से पैरवी कर रहे हैं, सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार दुबे तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

3- वर्तमान आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 434 वर्ष 2023, धारा 306 भा.दं.सं., थाना सिकंदराराऊ, जनपद हाथरस में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की जाए।

4- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उनका कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदकों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन के पश्चात दर्ज की गई। प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब के संबंध में कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदकों के विरुद्ध ऐसा कोई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोप अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि मृतका को आवेदकों द्वारा आत्महत्या करने के लिए उकसाया अथवा दुष्प्रेरित किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दर्ज कराई गई थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि पंचायतनामा के पश्चात, जिसमें पति उपस्थित था, शव का पोस्टमार्टम कराया गया और तीन दिन के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। चार माह पश्चात एक डायरी की छायाप्रति, जिसे सुसाइड नोट बताया गया है, विवेचना अधिकारी को सौंपी गई, जिसे सत्यापन हेतु एफ.एस.एल. भेजा गया। एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार सुसाइड नोट मृतका द्वारा लिखा गया था। सुसाइड नोट के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदकों एवं अन्य के विरुद्ध सामान्य एवं सर्वग्राही आरोप लगाया गया है। सुसाइड नोट में आवेदकों को नामजद नहीं किया गया है और केवल सह-अभियुक्त विकास, जो आवेदक संख्या 1 का पुत्र है, को सुसाइड नोट में नामजद किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि मृतका ने वैवाहिक विवाद के कारण आत्महत्या की। सुसाइड नोट मृतका के पति द्वारा तैयार किया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि मुख्य आरोप सह-अभियुक्त विकास के विरुद्ध लगाया गया है और उसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 10733 वर्ष 2024 में दिनांक 06.05.2024 के आदेश द्वारा नियमित जमानत प्रदान की गई है। प्रारंभ में केवल सह-अभियुक्त विकास के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था और विवेचना अधिकारी द्वारा आवेदकों को दोषमुक्त कर दिया गया था, जो दिनांक 09.02.2024 की केस डायरी के अंतिम पर्चे के परिशीलन से स्पष्ट है। विवेचना के दौरान आवेदकों को पुनः वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त बना दिया गया। विवेचना लगभग पूर्ण हो चुकी है और वर्तमान प्रकरण में आवेदकों की अभिरक्षात्मक पूछताछ की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदकों के आपराधिक पूर्ववृत्त की व्याख्या शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 29 में की गई है।

5- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदकों की गिरफ्तारी से परिवार को अपूरणीय कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मृतका मानसिक तनाव में थी और आवेदकों द्वारा किसी उकसावे अथवा दुष्प्रेरण के बिना अवसाद की स्थिति में उसने आत्महत्या कर ली। वर्तमान प्रकरण में विधि के अनुसार आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के आवश्यक तत्व पूर्णतः अनुपस्थित हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त अभय सिंह को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2026 के आदेश के माध्यम से आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 7324 वर्ष 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, उपस्थित होंगे। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, विवेचना में सहयोग करेंगे तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेंगे।

6- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया, तथापि, उन्होंने तथ्यों के पहलू से इनकार नहीं किया।

7- मैंने दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

8- सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य एवं अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को भयभीत करना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से बचने की संभावना, जैसे देश छोड़कर चले जाने आदि पर विचार करना होता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को सौंपी गई भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। जमानत प्रदान की जाए या नहीं, यह विवेक का विषय है।

9- सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है, जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो अथवा वह जघन्य अपराध हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की संभावना हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी किया जाना विधिसम्मत है, यह आवश्यक नहीं हो जाता कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान को अकल्पनीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा या समन का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पालन नहीं करेगा और वास्तव में उसने पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

10- निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 306 भा.दं.सं. / धारा 108 बी.एन.एस. के अन्तर्गत अपराध गठित करने के लिए, अभियुक्त की ओर से धारा 107 भा.दं.सं. / धारा 45 बी.एन.एस. में परिकल्पित विशिष्ट दुष्प्रेरण, संबंधित व्यक्ति को उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के आशय के साथ किया जाना आवश्यक है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा मृतक की सहायता करने अथवा उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने या दुष्प्रेरित करने का आशय धारा 306 भा.दं.सं. / धारा 108 बी.एन.एस. को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है [मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य (2010) 8 एससीसी 628 देखें]। आगे, कथित रूप से किया गया उत्पीड़न पीड़ित को इस स्थिति में छोड़ने वाला होना चाहिए कि उसके पास अपना जीवन समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न बचे और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के प्रकरणों में आत्महत्या करने के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का प्रमाण होना आवश्यक है [अमलेंदु पाल उर्फ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2010) 1 एससीसी 707 तथा एम. मोहन बनाम राज्य (2011) 3 एससीसी 626 एवं रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एससीसी 618 देखें]।

11- इन सिद्धांतों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में **महेन्द्र आवासे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2025 आईएनएससी 76** में पुनः दोहराया गया है।

12- आवेदकों का प्रकरण उपर्युक्त निर्णयों के अंतर्गत पूर्णतः आच्छादित है।

13- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियां, आरोप की प्रकृति, आवेदकों की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनता है।

14- तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकृत** किया जाता है:-

(i)- उपर्युक्त प्रकरण में संलिप्त आवेदकगण- **रीना एवं रिकू** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वे संबंधित थाने के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करें;

(ii)- आवेदकगण विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेंगे तथा विवेचना संचालित करने के प्रयोजनार्थ जब भी अपेक्षित होगा, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे;

(iii)- आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; और

(iv)- आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएंगे।

15- उपर्युक्त किसी भी शर्त का पालन न करने अथवा उसका दुरुपयोग करने की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदकों को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

13 अगस्त, 2026

ए.पी. पांडेय